न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर
राजस्व वाद 56 / 2022(2022 / 186)

1. भूरी पत्नी गंगाराम।
2. रामप्रसाद पुत्र गंगाराम।
3. कैलाश पुत्र गंगाराम।
4. जाड़ा पुत्री गंगाराम।
5. सोहनी पत्नी भोगा।
6. कालू पुत्र भोगा।
7. मथुरा पुत्री भोगा।
8. सुरेन्द्र पुत्र भोगा दत्तक पुत्र नाथू।
9. सोहनी पत्नी रामा।
10. सुखलाल पुत्र रामा।
11. कान्ता पुत्री रामा।
12. नन्दराम पुत्र गोकल।
13. सोहनी पुत्री गोकल।

समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम मेवदाकलाँ तहसील केकड़ी जिला अजमेर राजस्थान।

———अपीलार्थीगण

♠ बनाम ♠

1. घीसी देवी पत्नी कैलाश मीणा जाति मीणा निवासी ग्राम मेवदाकलाँ तहसील केकड़ी जिला अजमेर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब तहसील केकड़ी जिला अजमेर।
3. श्रीमान शाखा प्रबन्धक महोदय येस बैंक लि0 शाखा केकड़ी जिला अजमेर।

——— प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध नामान्तरण 1153 दिनांक 11.6.2018 जो ग्राम पंचायत लसाड़िया / श्रीमान तहसीलदार केकड़ी द्वारा रेस्पाडेन्ट नम्बर 1 के पक्ष में गलत रूप से स्वीकृत किया गया।

उपस्थित:–
अपीलार्थीगण वकील :– श्री रामअवतार मीणा
पेराकार सरकार :– जरिये तहसीलदार केकड़ी

निर्णय

दिनांक 8/6/2022

अपीलार्थीगण की ओर से संक्षेप में प्रकरण निम्न प्रकार है:– कि ग्राम छावड़िया तहसील केकड़ी जिला अजमेर की आराजी भूमि का विवरण निम्न प्रकार है

खाता संख्या नया–पुराना	खसरा संख्या	रकबा(है.)	किस्म
202–202	1470	0.13	बारानी उत्तम
	1471	0.11	बारानी उत्तम
	1472	0.05	बारानी उत्तम
	1473	0.06	बारानी उत्तम
	1474	0.11	बारानी उत्तम
	1475	2.00	बारानी उत्तम
	1476	0.47	बारानी उत्तम

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

	1477	0.41	बारानी उत्तम
	1478	0.85	बारानी उत्तम
	1479	0.63	बारानी उत्तम
	1480	0.59	बारानी उत्तम
	1481	1.00	बारानी उत्तम
	1483	0.63	बारानी उत्तम
	1496	1.80	बारानी उत्तम
	1497	0.14	बारानी उत्तम
	कुल किता 15	कुल रकबा 8.98	
203-204	1514	0.24	बारानी उत्तम
	1515	0.08	बारानी उत्तम
	1532	0.51	बारानी उत्तम
	1533	0.42	बारानी उत्तम
	1534	0.03	बारानी उत्तम
	1535	0.02	बारानी उत्तम
	1537	0.20	बारानी उत्तम
	1538	0.08	बारानी उत्तम
	1540	0.87	बारानी उत्तम
	1541	0.37	बारानी उत्तम
	1550	0.43	बारानी उत्तम
	1551	1.02	बारानी उत्तम
	1552	1.35	बारानी उत्तम
	कुल किता 13	कुल रकबा 5.62	
204—203	1189	0.06	चाही उत्तम
	1194	0.05	चाही उत्तम
	1301	0.17	चाही उत्तम
	1306	0.07	चाही उत्तम
	1307	0.10	चाही उत्तम
	1309	0.21	चाही उत्तम
	1320	0.15	चाही उत्तम
	1321	0.18	चाही उत्तम
	1330/1635	0.09	चाही उत्तम
	1520	0.40	बारानी उत्तम
	1523	0.01	गै.मु.चाह
	1524	0.51	बारानी उत्तम
	कुल किता 12	कुल रकबा 2.00	
347—343	1192	0.05	गै.मु.चाह

रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 लगायत 08 तथा 09 लगायत 11 के पिता रामा एवम् 12 व 13 व उनके भाई श्योजी ने अपील के पैरा संख्या 01 में वर्णित आराजीयात बाबत् एक विक्रय पत्र दिनांक 25.5.2018 को प्रत्यर्थी संख्या 1 के हक में प्रत्यर्थी संख्या 2 के कार्यालय में पंजीयन करवाया था। उक्त विक्रय पत्र में यह भी नोट लगाया गया था कि नोट– मृतक संग्राम के हिस्से की जरिये विरासत के नामान्तकरण संख्या 1124 दिनांक 20.4.2018 को आई लेख्यकर्तागण की आराजीयात का सम्पूर्ण रकबा लेख्यग्रहिती को विक्रय किया गया है

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

अर्थात अपीलार्थीगण द्वारा दिनांक 25.5.2018 के विक्रय पत्र के जरिये संग्राम के हिस्से की जरिये विरासत का नामन्तकरण संख्या 1124 दिनांक 20.4.2018 को आई अपीलार्थीगण के हिस्से की आराजीयात का ही बेचान किया गया था। लेकिन प्रत्यार्थी संख्या 2 द्वारा विक्रय पत्र की अनदेखी करते हुए भूल व सहवन से अपीलार्थीगण के नामशुदा सम्पूर्ण आराजीयात का नामान्तकरण संख्या 1153 दिनांक 11.6.2018 के जरिये प्रत्यर्थी संख्या 1 के नाम दर्ज कर दिया जो अवैध है प्रारंभ से ही शून्य है एवम् अपास्त योग्य है नामान्तकरण संख्या 1153 दिनांक 11.6.2018 विधि विरुद्ध व गलत रूप से स्वीकार कर दिया है उससे व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा अपील निम्न आधार पर पेश है रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष मे स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 1153 दिनांक 11.6.2018 विधि विरुद्ध होने से निरस्तनीय है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 8 तथा 9 लगायत 11 के पिता रामा एवम 12 व 13 एवम उनके भाई ग्योजा ने अपील के पेरा संख्या 1 मे वर्णित आराजीयात बाबत् एक विक्रय पत्र दिनांक 25.5.2018 को प्रत्यर्थी संख्या 1 के हक मे प्रत्यर्थी संख्या 2 के कार्यालय में पंजीयन करवाया था। तथा उक्त विक्रय पत्र के माध्यम से मृतक संग्राम के हिस्से की जरिये विरासत के नामान्तकरण संख्या 2406 दिनांक 15.8.2016 को आई आराजीयात को ही अपीलार्थीगण ने बेचान किया था लेकिन प्रत्यर्थी संख्या 2 ने भूल व सहवन से अपीलार्थीगण की नामशुदा सम्पूर्ण आराजीयात का नामन्तकरण प्रत्यर्थी संख्या 01 के पक्ष में गलत स्वीकार कर दिया। इसलिए नामान्तकरण संख्या 1153 दिनांक 11.6.2018 अपास्त होने योग्य है नामान्तकरण संख्या 1153 दिनाक 11.6.2018 कि जानकारी अपीलार्थीगण को दिनांक 28.3.2022 को नकल लेने प्राप्त हुई ओर प्रस्तुत अपील नकल प्राप्ति से भीतर 30 दिन पेश किया है

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को नोटिस तलब किया। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया की अपील में आगे की कार्यवाही नही चाहते है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जवाब में बताया कि उक्त आराजीयात में से मृतक संग्राम के हिस्से की जमीन जो ग्राम छावडिया व ग्राम मेवदाकलॉ में स्थित है की ही जरिये विकय खरीद किया था। लेकिन सहवन व भूलवंश अपीलार्थीगण की सम्पूर्ण आराजीयात का नामान्तकरण मेरे नाम खुल गया है जो गलत है। मुझे केवल संग्राम के हिस्से की आराजीयात ही चाहिए शेष नामान्तकरण को माननीय न्यायालय अपारस्त करते है तो मुझे कोई आपत्ति नही है। आगे कार्यवाही नही करने का निवेदन अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा किया। पक्षकारान की बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । पक्षकारान की बहस पर मनन किया। अप्रार्थी संख्या 1 ने उक्त आराजीयात में से केवल मृतक संग्राम के हिस्से की जमीन जो ग्राम छावडिया व ग्राम मेवदाकलॉ में स्थित है को ही जरिये विकय पत्र खरीद किया था लेकिन सहवन व भूलवंश अपीलार्थीगण की सम्पूर्ण आराजीयात का नामान्तकरण अप्रार्थी संख्या 1 घीसी के नाम खुल गया। यह अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा स्वीकार किया है। अपीलार्थीगण की अपीलान्ट स्वीकार किया जाता है व रेस्पोरेन्ट संख्या 2 जर्ये तहसीलदार केकड़ी द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 (घीसी) के पक्ष में स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 1153 दिनांक 11.6.2018 को निरस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 घीसी द्वारा मृतक संग्राम का हिस्सा जो जरिये विकय पत्र खरीद किया है को नामान्तकरण नियमानुसार किया जावे।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner